

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई  
निविदा सूचना

क्रमांक / लो.क.वि. / जोन-1 / 318/

भिलाई, दिनांक 26/12/2020

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से लोक निर्माण विभाग में ई-रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 एवं सड़क एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से लागू एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निर्मांकित कार्य दिनांक 15.01.2021 को सायं 5:30 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक 18.01.2021 को प्रातः 11.00 बजे खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन दिनांक 11.01.2021 को सायं 5:30 बजे तक निर्धारित राशि के साथ आवेदन स्वीकार किये जावेगा।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	वार्ड-03 नेहरू नगर स्थित मसीह कब्रिस्तान के पास मुक्तिधाम शेड व पेवर ब्लाक निर्माण कार्य।	9.00	7000.00	750.00	120 दिन	द एवं प्रवर
2	वार्ड-12 में स्थित साहू मित्र सभा के सामने पेवर ब्लाक लगाने का कार्य।	5.00	5000.00	750.00	90 दिन	द एवं प्रवर
3	वार्ड-08 सनातन नगर कोहका सिन्हा सामुदायिक भवन के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	5.00	5000.00	750.00	120 दिन	द एवं प्रवर
4	वार्ड-03 निर्मल ज्ञान मंदिर नेहरू नगर के पास शेड निर्माण कार्य।	3.00	3000.00	750.00	90 दिन	द एवं प्रवर
5	वार्ड.08 स्थित देवांगन समाज जनसेवा समिति के पास मंच निर्माण कार्य।	2.00	2000.00	300.00	90 दिन	द एवं प्रवर

नियम एवं शर्तः- 1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। 2. निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे। 3. धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता / जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से तथा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन, पेनकार्ड, आयकर, जीवित बैंक सालवैसी प्रमाण, GST पंजीयन पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। 4. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर 0.5 % की कटौती की जाएगी। 7. ठेकेदार द्वारा निविदा में अंको एवं शब्दों दोनों में स्पष्ट रूप से दरे प्रस्तुत करें नहीं किये हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्त्रोतों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5 % की कटौती की जाएगी। 8. शासन के आदेश क्रमांक 19 दिनांक 04.06.2016 के सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि जाने पर निविदा फार्म निरस्त किया जाएगा। 9. शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों से संबंधित कार्यों हेतु श्रमिकों का पी.एफ. कटौती किया जाना है तथा बैंको में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक एफ.डी.आर. के रूप में सविदा के पूर्व जमा करना होगा। 10. प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। 11. खाते में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। 12. प्रत्येक कार्य के लिए पृथक-पृथक धरोहर राशि जमा करें एवं समयोजन की कार्यवाही नहीं होगी। 13. शासन के निर्देशानुसार G.S.T. एवं अन्य कर सम्मिलित रहेगा। 14. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जाएगा। 15. प्रत्येक कार्य के लिए एफ.डी.आर. के लिए राशि रु. 100.00 स्टाम्प एफिडेविट संलग्न करना अनिवार्य होगा। 16. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई नेहरू नगर जोन-01, नगर निगम भिलाई की वेबसाइट [www.bhilainagarnigam.com](http://www.bhilainagarnigam.com) अथवा संचालनालय की वेबसाइट [www.uad.cg.gov.in](http://www.uad.cg.gov.in) एवं सीएस की वेबसाइट [eproc.cgstate.gov.in](http://eproc.cgstate.gov.in) से देखी जा सकती है।

जोन आयुक्त

जोन-01

नगर पालिक निगम,  
भिलाई